5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(4)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – / 2017 निगरानी
PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4642

1. परमानंद पिता मोहनलाल
2. गोवर्धन पिता मोहनलाल
निवासीगण ग्राम खरसौदखुर्द तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन –– आवेदकगण

विरूद्ध

नंदराम पिता दौलतराम पाटीदार, जाति कुलमी
धंधा कृषि निवासी ग्राम खरसौद खुर्द तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन –– अनावेदक

पक्षकार/अभिभाषक श्री ....
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ....
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

22-11-17

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदयतहसील बड़नगर जिला उज्जैन के प्र.क्र. 4/अ–13/16–17 में आदेश दिनांक 23–08–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निग. / उज्जैन / भू.रा. / 2017 / 4642 [धरमानंद / नंदराम]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–8–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदक को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता उपलब्ध कराया गया है, आवेदक चाहे तो तहसील न्यायालय के समक्ष रास्ता नहीं होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत कर अपना पक्ष समर्थन कर सकता है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	